


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भारिजा सीकर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर खास, अजमेर एवं श्री मूलचंद बलाई, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारू चित्तौड़गढ़ को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भारिजा सीकर में स्थानान्तरित किया गया था।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2856/2019 राजेन्द्र कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 2856/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार गुप्ता के नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था। चूंकि अपीलार्थी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि ब्यावर खास अजमेर में दिनांक 21.10.2019 को कार्यग्रहण कर लिया गया है। अतः वे उक्त स्थान पर प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रहेंगे।



(नथमल डिंडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/राजेन्द्र कुमार गुप्ता/2856/2019 दिनांक: 29.11.2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अजमेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)